

**मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।**

पत्रांक सं०


17

/कार्यालय/उद्यान/2018-19

दिनांक : 26.09.2018

**नीलामी सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ की गंगानगर विस्तार योजना में विकास कार्यों में बाधक 392 नं० वृक्षो/पेड़ो की नीलामी दिनांक 26/09/18 को प्रातः 11:30 बजे प्राधिकरण मीटिंग हाल में होनी निश्चित हुई है। बोली दाता को नीलामी से पूर्व रु 310500.00 की धरोहर राशि के रूप में अधोहस्ताक्षरी के पास जमा करना होगा। जो व्यक्ति या फर्म नीलामी के इच्छुक हो वह स्थल पर जाकर वृक्षो को देखकर निर्धारित तिथि एवं समय पर आकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। नियम शर्तें प्राधिकरण की वेबसाइट [mdameerut.org.in](http://mdameerut.org.in) पर व उद्यान अनुभाग में किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है।

  
26.9.18

अधीक्षण अभियन्ता  
मेरठ विकास प्राधिकरण

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ की गंगानगर विस्तार योजना में विकास कार्यों में बाधक 392 नं० वृक्षो/पेड़ो की नीलामी दिनांक 26/09/2018 को प्रातः 11:30 बजे प्राधिकरण मीटिंग हाल में होनी निश्चित हुई है। बोली दाता को नीलामी से पूर्व रु 310500.00 की धरोहर राशि के रूप में अधोहस्ताक्षरी के पास जमा करना होगा। जो व्यक्ति या फर्म नीलामी के इच्छुक हो वह स्थल पर जाकर वृक्षो को देखकर निर्धारित तिथि एवं समय पर आकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। नियम शर्तें प्राधिकरण की वेबसाइट mdameerut.org.in पर व उद्यान अनुभाग में किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है।

नियम व शर्तें:-

1. उच्चतम बोलीदाता को नीलामी में बोली गयी धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि उसी समय तथा अवशेष धनराशि स्वीकृति उपरान्त तत्काल प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी तदोपरान्त ही वृक्षो का पातन प्रारम्भ किया जा सकेगा।
2. नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्थल पर खड़े वृक्षो को देखने/आंकलन की जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता की होगी।
3. उच्चतम बोलीदाता को पेड़ो का पातन 15 दिन के अन्दर करके स्थल से कटे वृक्षो की जड़ इत्यादि निकाल कर साफ करना होगा।
4. उच्चतम बोलीदाता को वृक्षो का पातन एवं ढुलाई खर्च स्वयं वहन करना होगा।
5. किसी भी प्रकार की यदि कर देयता होगी तो बोलीदाता को स्वयं वहनकरना होगा।
6. उपाध्यक्ष, मे०वि०प्रा० मेरठ को बिना कोई कारण बताये बोली स्वीकृति/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
7. नीलामी द्वारा निस्तारित वृक्षो के पातन हेतु क्रेता की प्रभागीय निदेशक, सामाजिकी वानिकी प्रभाग, मेरठ के कार्यालय से नियमानुसार पातन अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी।
8. नीलामी में असफल आवेदको की जमा धनराशि रु 310500.00 नीलामी के बाद आवेदको को वापस कर दी जायेगी।

  
अधीक्षण अभियन्ता  
मेरठ विकास प्राधिकरण